<u>दिनांक 27 मई, 2021 को आयोजित एनसीवीईटी की राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

1. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) के तहत राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की आठवीं बैठक डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष एनसीवीईटी और श्री प्रवीण कुमार सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 27 मई, 2021 को आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** पर है।

2. बैठक में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:

<u>कार्यसूची मद सं.1: एनएसक्यूसी की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि</u>

3. **समिति ने दिनांक 25 मार्च, 2021 को आयोजित एनएसक्यूसी की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित किया।**

<u>कार्यसूची मद सं.2: एनएसक्यूसी की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट</u>

4. समिति को एनएसक्यूसी की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का विवरण दिया गया था। अनुपालन के संबंध में सशर्त अनुमोदित फाइलों की स्थिति **अनुबंध-II** पर है।

5. 'की गई कार्यवाही रिपोर्ट' के पैरा-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(क) <u>क्रम सं. 2(1.क):</u> <u>दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद् (एससीपीडब्ल्यूडी)</u>: यह सूचित किया गया था कि एससीपीडब्ल्यूडी की 74 अर्हताओं में से 62 अर्हताओं के लिए डोमेन एसएससी की सहमति प्राप्त हो गई है और एनक्यूआर पर अपलोड कर दी गई है। शेष 12 अर्हता फाइलों (क्यूएफएस) के लिए सहमति अभी प्राप्त होनी है।

समिति ने स्थिति पर ध्यान दिया और एससीपीडब्ल्यूडी को अनुदेश दिया कि वे अगली एनएसक्यूसी बैठक से पहले लंबित अनुपालन में शीघ्रता करें।

(ख) <u>क्र.सं. 2 (1.ग.ख): प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी)</u> अर्हता जेरियाटिक (ओल्ड ऐज) केयर-सीटीएस' को न्यूनतम आयु प्रवेश 14 वर्ष से अपेक्षा के रूप में 16 वर्ष में परिवर्तित किए जाने के अध्यधीन सशर्त अनुमोदित किया गया था। डीजीटी द्वारा अनुपालन पूरा किया गया था। तथापि, डीजीटी द्वारा अनुपालन सूचित किए जाने के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने उपर्युक्त अर्हताओं के संबंध में दो नई अतिरिक्त टिप्पणियां की हैं। डीजीटी ने यह स्पष्ट करते हुए एनएसक्यूसी के समक्ष अर्हता के लेवल और प्रस्तावित नाम को पूर्णत: औचित्यपूर्ण बताया कि कई अतिरिक्त एनओएस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक विकसित/ संचालित पाठ्यक्रम की तुलना में इस पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं:-

(i) अर्हता का नाम जेरियाटिक (ओल्ड ऐज) केयर' से बदलकर 'गेरियाटिक केयर ऐड' करना और

(ii) एनएसक्यूएफ लेवल 4 से कम करके 3 करना

समिति ने सलाह दी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सूचित किया जाए कि वे उपर्युक्त अर्हता का नाम और लेवल बदलने के कारण बताएं और यदि उत्तर अगली एनएसक्यूसी बैठक से पूर्व प्राप्त नहीं होता है तो इसे विद्यमान नाम और लेवल के साथ अनुमोदित माना जाएगा।

(ग) <u>क्र.सं.2(1.ड.): वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् - केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएलआरआई):</u> नीचे उल्लिखित सभी छह सशर्त अनुमोदित अर्हताओं के संबंध में अनुपालन लंबित है:

i. 'शार्ट टर्म एक्जीक्युटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन आक्युपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर लैदर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज';

ii. 'शार्ट टर्म एग्जीक्युटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन फार लैदर सेक्टर';

iii. 'शार्ट टर्म एग्जीक्युटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन वेस्ट मैनेजमेंट फॉर लैदर सेक्टर';

iv. 'शार्ट टर्म एग्जीक्युटिव स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम इन लैदर अपहोलेटरी';

v. 'शार्ट टर्म एग्जीक्युटिव स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम इन क्लिनर लैदर प्रोडक्शन' और

vi. 'ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन लैदर एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर',

समिति ने इस मामले पर ध्यान दिया और अनुदेश दिया कि सीएसआईआर-सीएलआरआई को यह सूचित किया जाए कि अनुपालन अगली एनएसक्यूसी बैठक से पूर्व किए जाने हैं।

'(घ) **<u>क्रम सं. 2(1.च): ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद् (एएसडीसी)</u>** समिति को सूचित किया गया था कि एक संशोधित अर्हता अर्थात 'ऑटोमोटिव सेल्स टेली कालर' के संबंध में अनुपालन लंबित है जिसे 21 उद्योग वैधताएं प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन सशर्त अनुमोदित किया गया था।

समिति ने इस मामले पर ध्यान दिया और एएसडीसी को यह सूचित करने का अनुदेश दिया कि अनुपालन अगली एनएसक्यूसी बैठक से पूर्व किए जाने हैं।

<u>कार्यसूची मद सं.3: हैल्थकेयर सेक्टर में कस्टोमाइज्ड कोविड-19 विशेष क्रैश कोर्सिस(परिचालित कार्यसूची में मद सं.5)</u>

6. वर्तमान महामारी - कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और दिनांक 17 मई, 2021 को आयोजित मंत्री समूह की बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार हैल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल (एचएसएससी) हेल्थकेयर सेक्टर में पहले से ही अनुमोदित 6 अर्हताओं से राष्ट्रीय व्यावसाय मानक (एनओएस) अपनाकर 6 कस्टोमाइज्ड कोविड विशिष्ट क्रैश कोर्सिस तैयार किए हैं। यह स्पष्ट किया गया था कि कोविड-19 में अभूतपूर्व तनाव के तहत विद्यमान हैल्थकेयर प्रणाली को राष्ट्रव्यापी बना दिया है और स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। अत:, पहले से विद्यमान एनएसक्यूएफ के अनुरूप कार्य-भूमिकाओं में हैल्थकेयर व्यावसायिकों का कार्य-बल सृजित कर हैल्थकेयर प्रणाली को कोविड-19 के लिए संगत और अपेक्षित सेवाओं से संबंधित कार्य-भूमिकाओं को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

7. एमएसडीई ने सूचित किया कि दिनांक 17 मई, 2021 को मंत्री समूह की बैठक के दौरान तद्नुसार यह निर्णय लिया गया है कि पीएमकेवीवाई 3.0 केन्द्रीय संघटक के अन्तर्गत छह विद्यमान एनएसक्यूएफ के अनुरूप कार्य भूमिकाओं में कस्टोमाइज्ड क्रैश कोर्सिस कोविड-19 महामारी में सेवा करने के लिए हैल्थकेयर व्यावसायिकों को प्रशिक्षित करने और भर्ती करने के लिए आयोजित किए जाएं। अत: कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने कौशलीकरण/कौशलकरण के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (पीएमकेवीवाई 3.0) के केन्द्रीय संघटक के तहत हैल्थेकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल (एचएसएससी) द्वारा सुझाए गए अनुसार छह कस्टोमाइज्ड नेशनल आक्युपेशनल स्टैंडर्ड (एनओएस) आधारित कोविड-19 संबंधी कार्य-भूमिकाएं तैयार की हैं। एचएससीसी ने ऑन दी जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) द्वारा अपनाए गए इन पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण की अवधि कम करने का प्रस्ताव किया है, जिसे जिला/अन्य अस्पतालों, नैदानिक केन्द्रों, आदि में पीएचसी/जिले के सरकारी अस्पतालों में चलाया जा सकता है, जहां वे अपने कौशलों को निरंतर दर्शाते हुए कार्य कर रहे होंगे।

8. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने सूचित किया कि यद्यपि वर्तमान महामारी के काल के दौरान कुशल कार्मिकों की आवश्यकता और फास्ट-ट्रैक अनुमोदन एवं प्रशिक्षण के लिए उसकी आवश्यकता अच्छी तरह से मानी जाती है, तथापि यह नोट किया जाना चाहिए कि शीघ्रता किए गए माड्यूल में मूल पाठ्यक्रमों के ओजेटी (ऑन जॉब ट्रेनिंग) संघटक शामिल होंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन ब्यौरों की जांच करने के लिए दस दिन का समय मांगा। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:-

(क) यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वांछित पाठ्यक्रमों के लिए पूर्णता प्रमाण-पत्र पूर्ण पाठ्यक्रम के पूरा होने पर ही जारी किया जाए, जब भी अभ्यर्थी द्वारा किया जा रहा हो। इससे वर्तमान प्रक्रिया के साथ अनुरुपण सुनिश्चित होगा और प्रणाली में कोई व्यवधान भी नहीं होगा और वर्तमान तथा विगत के सभी अभ्यर्थियों के साथ समानता और शुद्धता सुनिश्चित भी होगी।

(ख) यह राज्यों को प्रशिक्षण और सुविधाएं शीघ्रता से देने की इस वर्तमान मेक-शिफ्ट व्यवस्था दर्शाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है, जहां इन अभिव्यक्तियों को नियुक्त किया जाए ताकि कार्मिक के रूप में उपयोग में लाए जा रहे इन अभ्यर्थियों के ज्ञान/कौशल का अभाव पारदर्शी रूप से सूचित किया जाए, अत: रोगियों के जीवन को गलती से जोखिम न पहुंचाया जाए।

(ग) प्रस्तावित अर्हता पाठ्यक्रमों के लिए स्पष्ट आरंभ और अंत का समय दर्शाया जाए।

9. एचएसएससी और एमएसडीई द्वारा इस बात पर जोर दिया गया था कि ये पाठ्यक्रम महामारी की असाधारण स्थितियों के दौरान कार्मिकों की कमी को पूरा करने के प्रयोजन से विशेष रूप से तैयार किए गए हैं और इसीलिए कुछ उपयुक्त प्रमाणन इन क्रैश कोर्सिस के पास-आउट्स को दिए जाने की आवश्यकता होगी ताकि वे राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के पूल में कार्य-ग्रहण कर सकें अन्यथा इन क्रैश कोर्सों को बनाने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा।

10. तद्नुसार, विस्तृत विचार विमर्श के बाद समिति ने महामारी से निपटने के लिए प्रशिक्षित कार्मिको की आवश्यकता की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए एनओएस आधारित क्रैश कोर्सिस अनुमोदित करने का निर्णय लिया (क्रैश कार्सों के ब्यौरे अनुबंध-III पर रखे हैं) **इसमें निम्नलिखित शर्तें थी:**

(क) क्रैश कोर्स एक वर्ष की अवधि के लिए ही संचालित किए जाएंगे। हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल एक वर्ष के बाद पुन: एनएसक्यूसी के समक्ष इनमें से कोई भी क्रैश कोर्स ला सकता है, यदि विद्यमान महामारी की स्थिति की मांग के मद्देनजर आगे बढाए जाने की आवश्यकता हो।

(ख) ओजेटी सहित क्रैश कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण होने से एनओएस आधारित प्रमाणन होगा। क्रैश कोर्सिस **अनुबंध-III** के अनुसार दर्शाए गए अनुसार दोबारा नाम दिया जाएगा।

(ग) एचएससीसी क्रैश कोर्स के बाद एनओएस आधारित प्रमाणन जारी करते समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दर्शाई गई उपर्युक्त शर्तों का पालन करेगा और उचित समय में पूरे पाठ्यक्रमों की पूर्णता के बाद ही पूरा प्रमाणन जारी करेगा, जैसे ही अभ्यर्थी उसके लिए वापस आते हैं।

कार्यसूची मद सं. 4: एनएसक्यूएफ के अनुरूप होने के लिए अर्हताओं को प्रस्तुत करना

11. समिति को अवगत कराया गया था कि दिनांक 1 फरवरी, 2021 से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक कुल 155 योगयताएं (41 नई और 114 संशोधित) प्राप्त हुई थी।

(क) डेस्क जांच के बाद इन 155 अर्हताओं में से 96 अर्हताओं पर विचार किया गया था और शेष 59 अर्हताएं अपूर्ण होने अथवा विचार किए जाने के लिए पात्र न होने के उचित कारण के साथ संबंधित प्रस्तुत करने वाले संगठनों को लौटा दी गई थी।

(ख) 96 अर्हताओं के लिए हितधारकों के परामर्श एनएसक्यूएफ के अनुरूप प्रक्रिया के अनुसार लिए गए थे। एनएसक्यूएफ के अनुरूप होने के लिए विचार की गई सभी अर्हताओं का एक संक्षिप्त विवरण समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

(ग) एनएसक्यूसी की आठवीं बैठक में विचार की गई अर्हताओं के अनुमोदन स्तर का एक समेकित विवरण **अनुबंध-IV (क)** पर रखा है और अर्हता-वार स्तर **अनुबंध-IV (ख)** पर है।

12. लिए गए निर्णय नीचे दिए गए हैं:-

केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत अर्हताएं

13. **प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी):** एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए डीजीटी द्वारा आठ (8) नई अर्हताएं प्रस्तुत की गई थी। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

(क) ऑटोमोटिव क्षेत्र में सीआईटीएस अर्हता **'पम्प ऑपरेटर कम मैकेनिक'** को एक वर्ष के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। समिति ने सीआईटीएस

पाठ्यक्रमों की प्रवेश आवश्यकता में एनटीसी प्रमाण-पत्र के साथ 2 वर्ष का अनुभव निर्धारित किए जाने का भी सुझाव दिया। डीजीटी ने इस सुझाव की जांच करने और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके सीआईटीएस के लिए भर्ती नियमों में तद्नुरूपी परिवर्तन करने का सुझाव दिया।

(ख) डीजीटी द्वारा प्रस्तुत एप्रिंटिशिप प्रशिक्षण आईटी-आईटीईएस सेक्टर में एटीएस अर्हता **'इन्फार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस'** व्यवसायों की सूची जिससे अर्हता बनती है, से आईसीटी इंजीनियर और प्रणाली विश्लेषकों का व्यवसाय हटाए जाने के अध्यधीन **सशर्त अनुमोदित** की गई थी।

(ग) दूर संचार क्षेत्र में सीटीएस अर्हता **'फाइबर टू होम टेक्निशियन'** को प्रवेश आवश्यकता में 14 वर्ष से 16 वर्ष का परिवर्तन किए जाने और अर्हता में डिवाइस सिक्योरिटी कम्पोनेंट जोड़े जाने के अध्यधीन **सशर्त अनुमोदित** प्रदान किया गया था।

(घ) इलैक्ट्रानिक क्षेत्र में सीटीएस अर्हता **'टेक्निशियन इलैक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एंड रिपेयर'** को प्रवेश आवश्यकता मानदंडों में 14 वर्ष से 16 वर्ष किए जाने के परिवर्तन और अर्हता में सुरक्षा एवं डिजाइन कम्पोनेंट जोड़े जाने के अधीन सशर्त अनुमोदित प्रदान किया गया था।

(ड.) विद्युत क्षेत्र में सीआईटीएस अर्हता **'इलैक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्युशन'** को **एक वर्ष की अवधि** के लिए समिति द्वारा **अनुमोदित** किया गया था। समिति ने सीआईटीएस पाठ्यक्रमों की प्रवेश आवश्यकता में एनटीसी प्रमाण-पत्र के साथ 2वर्ष का अनुभव निर्धारित किए जाने का भी सुझाव दिया। डीजीटी ने इस सुझाव की जांच करने और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके सीआईटीएस के लिए भर्ती नियमों में तद्नुरूपी परिवर्तन किए जाने का आश्वासन दिया।

(च) रासायनिक एवं पेट्रो-केमिकल क्षेत्र में 2 सीआईटीएस अर्हताओं **'इलैक्ट्रो प्लेटर'** और **'प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर'** को समिति द्वारा **एक वर्ष की अवधि** के लिए **अनुमोदित** किया गया था। समिति ने सीआईटीएस पाठ्यक्रमों की प्रवेश आवश्यकता में एनटीसी प्रमाण-पत्र के साथ 2वर्ष का अनुभव निर्धारित किए जाने का भी सुझाव दिया। डीजीटी ने इस सुझाव की जांच करने और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके सीआईटीएस के लिए भर्ती नियमों में तद्नुरूपी परिवर्तन किए जाने का आश्वासन दिया।

(छ) हेल्थ केयर सेक्टर में अर्हता **'हेल्थ सेनिटरी इंस्पेक्टर - एटीएस'** को समिति द्वारा **अनुमोदित** किया गया था।

14. **<u>नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रानिक्स एंड इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी):</u>** दो (2) संशोधित अर्हताएं (परिवर्तनों सहित) समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(क) **'पीजी डिप्लोमा इन एम्बेडिड रीयल टाइम सिस्टम्स'** को शीर्षक में परिवर्तन किए जाने और अर्हता का स्तर 7 किए जाने के अध्यधीन **सशर्त अनुमोदित** किया गया था।

(ख) **'सोलर पावर इंस्टालेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस'** को एक वर्ष की अवधि के लिए **अनुमोदित** किया गया था।

15. **<u>नेशनल एकेडमी ऑफ रुडसेटी (नरुडसेटी), ग्रामीण विकास मंत्रालय :</u>** **'कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन फॉर एंटरप्राइज प्रोमोशन (सीआरपी-ईपी)'** नामक अर्हता को समिति के समक्ष रखा गया था समिति ने प्रस्तुत करने वाले निकाय अर्थात नरुडसेटी को प्रवेश आवश्यकता और तदनुरूपी उपयुक्त लेवल मानदंडों में संशोधित करने और अर्हता को पुन: प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

16. **<u>फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई):</u>** एफएफडीआई द्वारा प्रस्तुत चार (4) संशोधित अर्हताएं (पहली बार संशोधन) **समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित की गई थी।**

<u>सेक्टर स्किल काउंसिल्स द्वारा प्रस्तुत अर्हताएं</u>

17. **<u>ऑटोमोटिव एसएससी:</u>** चार (4) संशोधित अर्हताएं (परिवर्तनों सहित) एनएसक्यूसी के समक्ष रखी गई थी। समिति ने अर्हता **'ऑटोमोटिव ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट'** के संदर्भ में उद्योग वैधताओं की कम संख्या प्रस्तुत किए जाने के संबंध में पूछा। यह स्पष्ट किया गया था कि एक स्थानिक प्रौद्योगिकी का एनओएस अर्हता फाइल (3डी प्रिंटिंग) में जोड़ा गया है और इसीलिए ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले सक्रिय उद्योगों की संख्या उपयुक्त मानी गई थी। एसएससी द्वारा यह भी पाया गया था कि यह तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है और इसीलिए अर्हता का उन्नयन/संशोधन 3 वर्ष से पहले भी अपेक्षित हो सकता है। **सभी अर्हताओं को अनुमोदन प्रदान किया गया था।**

18. **<u>कृषि एसएससी:</u>** भारतीय कृषि कौशल परिषद् (एएससीआई) की चौदह (14) संशोधित अर्हताएं एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए रखी गई थी। जिनमें से, **तेरह (13) अर्हताएं अनुमोदित की गई थी।** तथापि, **अर्हता - 'इंटीरियर लैंडस्केपर' अनुमोदित नहीं की गई थी।** समिति ने एसएससी को निर्देश किया कि वह अपेक्षित राष्ट्रीय घंटों और अनुभव में परिवर्तनों के संदर्भ में फाइल पुन: प्रस्तुत करें।

19. **<u>ब्युटी एंड वेलनेस एसएससी:</u>** तीन योग प्रशिक्षण संबंधित संशोधित अर्हता फाइलें एनएसक्यूसी को प्रस्तुत की गई थी। तथापि, संशोधित अर्हताएं योग से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए लाइन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय की सहमति के बिना प्रस्तुत की गई थीं। आयुष मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने उल्लेख किया कि उनके मंत्रालय के अनुसार योग से संबंधित कार्य-भूमिकाएं ब्युटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल (बीडब्ल्यूएसएससी) से हेल्थ एसएससी की उप काउंसिल को स्थानांतरित की जानी हैं। ब्युटी एंड वेलनेस एसएससी द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि आरंभ में ये पाठ्यक्रम आयुष के साथ परामर्श करके तैयार किए गए थे। विचार-विमर्श के बाद समिति का यह मत था कि योग ब्युटी और वेलनेस का भाग और उससे संबंधित भी है और इसलिए आयुष मंत्रालय को योग का विस्तार सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना चाहिए तथा इसकी अपेक्षा पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु के औचित्य के आधार पर अपनी सहमति देनी चाहिए। बीडब्ल्यूएसएससी द्वारा संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों से नियमित योग पाठ्यक्रम को भिन्न करने के लिए यह निर्णय लिया गया था

कि बीडब्ल्यूएसएससी अपनी प्रत्येक तीन अर्हताओं के नाम के साथ बाद में 'बीएंडडब्ल्यू' लगाए। समिति ने आयुष मंत्रालय को यह सलाह दी कि वे बीडब्ल्यूएसएससी द्वारा प्रस्तुत संशोधित योग अर्हताओं पर सहमति देने पर विचार करें। निदेशक, आयुष मंत्रालय ने अर्हता फाइलों का अध्ययन करने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए समिति से तीन सप्ताह का समय देने के लिए अनुरोध किया जो इस शर्त के साथ प्रदान किया गया था कि चूंकि ब्युटी एंड वेलनेस एसएससी पहले ही इन पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहा है अत: तीन संशोधित योग अर्हताएं, यदि आयुष मंत्रालय से तीन सप्ताह के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो, परिवर्तित नाम के साथ **अनुमोदित मानी जाएंगी**।

20. **<u>भारतीय रत्न एवं आभूषण कौशल परिषद् :</u>** सभी तीन (3) नई अर्हताएं और आठ (8) संशोधित अर्हताएं (बिना किसी परिवर्तन के) **समिति द्वारा अनुमोदित** की गई थी।

21. **<u>ग्रीन जॉब एसएससी:</u>** सोलर सब-सेक्टर से चौदह(14) अर्हताओं, सेनिटेशन सब-सेक्टर से तीन (3) अर्हताओं और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर से दो (2) अर्हताओं से युक्त उन्नीस (19) संशोधित अर्हताओं को अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखा गया था। समिति द्वारा दस (10) अर्हताओं को अनुमोदित किया गया था जबकि सोलर सब-सेक्टर से नौ (9) को निम्नलिखित परिवर्तनों के अध्यधीन **सशर्त अनुमोदित** किया गया था:-

(क) **'सोलर प्रपोजल एव्युलेशन स्पेशलिस्ट':**

(i) विद्यमान 7 के लेवल से कम करके लेवल 5 करना; और

(ii) प्रवेश अर्हता वित्तीय संस्थान/बैंक/प्रबंधन परियोजना में 3 वर्ष के अनुभव के साथ 'स्नातक' अथवा 'स्नातकोत्तर' संशोधित किया जाना।

(ख) **'रुफटॉप सोलर ग्रिड इंजीनियर':** प्रवेश आवश्यकता को परिवर्तित करके 'बी.ई./बी.टेक' (इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल अथवा समतुल्य) अथवा स्नातक (विज्ञान) दो (2) वर्ष के अनुभव के साथ अथवा 1 वर्ष के अनुभव के साथ डिप्लोमा (इलैक्ट्रिकल अथवा समतुल्य) करना।

(ग) **‘सोलर पीवी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्युटिव - इलैक्ट्रिकल’**:

(i) नोशनल घंटे विद्‌यमान 140 घंटों से बढ़ाकर 200 घंटे करना; और

(ii) प्रवेश अर्हता संशोधित कर एक (1) वर्ष के अनुभव के साथ ‘बीबीए/बी.कॉम अथवा बी.टेक/बीई/बी.वीओसी (नवीकरणीय ऊर्जा अथवा समतुल्य) अथवा 3 वर्ष के संगत अनुभव के साथ 10वीं+2 वर्षीय आईटीआई करना।

(घ) **‘सोलर पीवी स्ट्रैक्चरल डिजाइन इंजीनियर’:** इस अर्हता का नाम बदलकर -सोलर पीवी स्ट्रैक्चरल एसिसटेंट डिजाइन इंजीनियर’ करना।

(ड.) **‘सोलर पीवी डिजाइनर’:** प्रवेश अर्हता को 5 वर्ष के अनुभव के साथ ‘स्नातक (बी.टेक -सोलर/इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल/ऊर्जा प्रणाली) के रूप में अथवा 3 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातकोत्तर (एम.टेक-सोलर/नवीकरणीय/ऊर्जा अध्ययन) के रूप में पुन: लिखा जाना’।

(च) **‘सोलर पीवी प्रोजेक्ट मैनेजर (ईएंडसी)’:**

(i) प्रवेश अर्हता को बदलकर ‘नवीकरणीय ऊर्जा/विद्‌युत क्षेत्र की युटिलिटियों/कन्सल्टिंग फर्मो/सोलर पीवी पॉवर प्लांट इंस्टालेशन और कमीशनिंग/संबंधित सेक्टर में 6 वर्ष के अनुभव के साथ इंजीनियरिंग और टैक्नोलॉजी में बी.ई./बी.टेक अथवा 5 वर्ष के अनुभव के साथ नवीकरणीय ऊर्जा/विद्‌युत क्षेत्र की युटिलिटियों/कन्सल्टिंग फर्मो/सोलर पीवी पॉवर प्लांट इंस्टालेशन और कमीशनिंग/संबंधित क्षेत्र में एमएससी/बी.वीओसी अथवा नवीकरणीय ऊर्जा/विद्‌युत क्षेत्र की युटिलिटियों/कन्सल्टिंग फर्मो/सोलर पीवी पॉवर प्लांट इंस्टालेशन और कमीशनिंग में 3 वर्ष के अनुभव के साथ एम.टेक/एमबीए; और

(ii) इस अर्हता के लिए नोशनल घंटे बढ़ाकर 200 घंटे करना।

(छ) **'सोलर पीवी मेंटेनेंस टेक्निशियन - इलैक्ट्रिकल (ग्राउंड माउंट)':** 'सोलर पीवी ओएंडएम इंजीनियर' से बढ़ाकर –सोलर पीवी ओएंडएम सुपरवाइजर' के रूप में परिवर्तन करना।

(ज) **'सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निशियन':**

(i) इस अर्हता का नाम संशोधित कर 'सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर' करना; और

(ii) 'उत्पादन प्रबंधन' से बढ़ाकर 'उत्पादन सुपरवाइजर' में परिवर्तित करना।

(झ) **'सोलर लाइटिंग टेक्निशियन (विकल्प: होम लाइटिंग सिस्टम/स्ट्रीट लाइट)':**

(i) इस अर्हता का नाम संशोधित कर 'सोलर लाइटिंग एसेम्बलर(विकल्प: होम लाइटिंग सिस्टम/स्ट्रीट लाइट)' करना; और

(ii) 'सोलर ऑफ ग्रिड स्ट्रीट लाइटिंग इंस्टालेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर' से बढ़ाकर 'सोलर ऑफ ग्रिड स्ट्रीट लाइटिंग इंस्टालेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर' कर परिवर्तित करना।

22. **आईटी-आईटीईएस एसएससी:** ग्यारह(11) संशोधित अर्हताएं अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखी गई थी। समिति ने नोट किया कि संशोधित पाठ्यक्रमों में नोशनल घंटों को काफी कम किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। आईटी-आईटीईएस एसएससी ने यह स्पष्ट किया कि इन पाठ्यक्रमों से कुछ एनओएस हटा दिए गए हैं जबकि कुछ अति व्यापन करने वाली संकल्पनाएं/संघटक आमेलित कर दिए गए हैं और यह कि उद्योग वैधताएं प्राप्त कर ली गई हैं। समिति ने यह पाया कि साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा द्वारा लगाए गए हमेशा बढ़ते हुए जोखिम और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इन अर्हताओं को संगठनात्मक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय/आंतरिक सुरक्षा परिवेशों की रक्षा करने के लिए बहुत अधिक महत्ता प्राप्त हुई है। इन्होंने और अधिक महत्ता प्राप्त की है क्योंकि साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा हमले महामारी के दौरान बहुत बढ़े हैं।

23. तद्नुसार, ऊपर उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से प्रस्तावित संशोधित अर्हताओं के नोशनल घंटों में काफी कटौती के संदर्भ में (**सिक्योरिटी इन्फ्रा स्पेशलिस्ट** की अर्हताओं के लिए यहां तक 43 प्रतिशत तक से तालिका में दर्शाए गए अनुसार अधिकतर अर्हताओं में **एनेलिस्ट आईडेनेटिटी एंड ऐसेसमेंट** की भूमिका के लिए 63 प्रतिशत तक) समिति ने आईटी-आईटीईएस एसएससी को सलाह दी कि वे विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में इन अर्हताओं का पुनरावलोकन करें:

(क) सुरक्षा को प्रभावित करने वाले हमेशा बढ़ रहे साइबर सुरक्षा/सूचना सुरक्षा जोखिम और घटनाएं जो आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बाधा डालने वाले महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा को भी कभी कभी प्रभावित कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक संशोधित अर्हता के लिए प्रस्तावित नोशनल घंटों की संख्या;

(ग) विभिन्न गृह एवं कार्य परिवेशों के लिए अंतरवेदन परीक्षण।

अर्हताएं	**मूल नोशनल घंटे**	**कम किए गए नोशनल घंटे**	**नोशनल घंटों में % कटौती**
एनालिस्ट आईडेनटिटी एंड एसेसमेंट	600	220	63
एनालिस्ट एंडप्वाइंट सिक्योरिटी	600	228	62
एनालिस्ट कम्प्लायंस ऑडिट	600	248	59
आर्टिटेक्ट आईडेनटिटी एसेस मैनेजमेंट	800	344	57
कन्सेलटेंट नेटवर्क सिक्योरिटी	800	356	56
सिक्योरिटी एनालिस्ट	400	180	55
फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट	800	388	52
पेनेट्रेशन टेस्टर	600	296	51
एनालिस्ट एप्लीकेशन सिक्योरिटी	600	324	46
एनालिस्ट सिक्योरिटी आक्युपेशन सेंटर	600	332	45
सिक्योरिटी इन्फ्रा स्पेशलिस्ट	800	456	43

समिति द्वारा आगे यह सिफारिश की गई थी कि आईटी-आईटीईएस एसएससी परिषद् के साथ, यदि ऐसा करने की आवश्यकता हो, विस्तृत विचार-विमर्श भी कर सकता है।

24. एसएससी ने उल्लेख किया कि उनकी वर्तमान अर्हताएं मार्च, 2021 तक ही वैध थी। अत:, समिति ने भी सभी विद्यमान अर्हताओं को (मूल अर्हता के अनुसार नोशनल घंटों के साथ **सितंबर, 2021 तक विस्तार प्रदान** किया।

25. **<u>पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार एसएससी:</u>** समिति के समक्ष तीन (3) संशोधित अर्हताएं रखी गई थी। उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

(क) पहली अर्हता **'फूड एंड बेवरेज सर्विस एसोसिएट'** को समिति द्वारा **अनुमोदित** किया गया था।

(ख) दूसरी योगयता **'गेस्ट हाउस केयरटेकर'** को नोशनल घंटे परिवर्तित करके 600 घंटे किए जाने और लेवल को 5 से घटाकर 4 किए जाने के अध्यधीन **सशर्त अनुमोदित** किया गया था तथा अर्हता को पुन: प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

(ग) तीसरी अर्हता **'बारटेंडर'** नोशनल घंटों को बढ़ाए जाने के लिए और संगत अनुभव प्राप्त करने हेतु ओजेटी संघटक को अनिवार्य रूप से जोड़े जाने के अध्यधीन **सशर्त अनुमोदित** अनुमोदित किया गया था।

26. **<u>प्लम्बिंग एसएससी:</u>** दो (2) संशोधित अर्हताएं अर्थात् **'असिसटेंट प्लंबर जनरल' और 'प्लंबर जनरल'** एनएसक्यूसी के समक्ष रखी गई थी। समिति को यह सूचित किया गया था कि इन अर्हताओं को कुछ विद्यमान अर्हताओं का आमेलन करके संशोधित कर दिया गया है और तद्नुसार सभी आमेलित अर्हताओं को राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) से हटा दिया जाएगा। इनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(क) एक विद्यमान अर्हता **'प्लंबर (मेंटेनेंस और सर्विस)'** लेवल-3 पर, 'असिसटेंट प्लंबर जनरल' अर्हता में आमेलित की गई थी; और

(ख) चार विद्यमान अर्हताओं अर्थात लेवल-2 पर **प्लंबर (मेंटेनेंस और सर्विस)',** लेवल 3 पर 'प्लंबर (मेसन)', लेवल-3 पर 'प्लंबर (आपरेशंस)' और लेवल-4 पर 'प्लंबर जनरल)-II' को क्रमश: 'प्लंबर जनरल' में आमेलित किया गया था।

समिति ने दोनों अर्हताओं को अनुमोदित किया।

27. **<u>रिटेल एसएससी:</u>** नौ (9) अर्हताओं (**एक नई और आठ संशोधित**) को समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था।

(क) एक नई अर्हता अर्थात) **'सेल्स सुपरवाइजर'** को समिति द्वारा निम्नलिखित संशोधनों के साथ **सशर्त अनुमोदित** किया गया था:-

(i) स्नातक अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश आवश्यकताओं के रूप में उत्पादों की बिक्री/सेवाओं में एक वर्ष का अनुभव जोड़ना।

(ii) उत्पादों की बिक्री/सेवाओं में न्यूनतम अनुभव 12वीं कक्षा पास/10वीं के बाद आईटीआई/रिटेल क्षेत्र के अभ्यर्थियों की एनएसक्यूएफ लेवल 4 कार्य भूमिकाओं में प्रमाणित के लिए दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करना।

(iii) आईटीआई (कक्षा 10 के बाद 2 वर्ष) के स्थान पर आईटीआई (कक्षा 10 के बाद) कर दिया जाएगा।

(ख) **शेष आठ (8) संशोधित अर्हताओं को समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।**

28. **<u>स्पोर्ट्स एसएससी:</u>** पांच (5) नई योग्याताएं एनएसक्यूसी के समक्ष रखी गई थी और उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित किया गया था:-

(क) पहली अर्हता 'फिटनेस सेंटर हैड' को या तो लेवल 7 से घटाकर 6 किए जाने अथवा नोशनल घंटे बढ़ाकर 800 घंटे किए जाने के अध्यधीन **सशर्त अनुमोदित** किया गया था। समिति ने यह भी अनुदेश दिया कि विशिष्ट वर्षों का अनुभव प्रवेश आवश्यकता मानदंडों में उल्लिखित किया जाना चाहिए।

(ख) दूसरी अर्हता 'फिटनेस ट्रेनर' को कोर फिटनेस कार्य में एक वर्ष का अनुभव जोड़कर प्रवेश आवश्यकता में परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन **सशर्त अनुमोदित** किया गया था।

(ग) तीसरी अर्हता 'ग्रुप फिटनेस ट्रेनर' को 12वीं पास के बाद 1 वर्ष का अनुभव जोड़े जाने अथवा एनएसक्यूएफ लेवल 4 प्रमाण-पत्र के बाद आईटीआई और 2 वर्ष का अनुभव जोड़े जाने के अध्यधीन **सशर्त अनुमोदित** अनुमोदित किया गया था।

(घ) चौथी अर्हता 'पर्सनल फिटनेस ट्रेनर' को नोशनल घंटों में वृद्धि कर परिवर्तन किए जाने तथा 12वीं पास के बाद 2 वर्ष का अनुभव अथवा लेवल 4 प्रमाण-पत्र के बाद आईटीआई और 3 वर्ष का अनुभव जोड़े जाने की शर्त के अध्यधीन **सशर्त अनुमोदित** किया गया था।

(ड.) पाचवीं अर्हता 'स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच' को स्नातक के बाद 3 वर्ष का अनुभव और एनएसक्यूएफ लेवल 5 प्रमाण-पत्र के बाद 2 वर्ष का अनुभव जोड़े जाने के अध्यधीन **सशर्त अनुमोदित** किया गया था।

<u>कार्यसूची मद सं. 5: दिनांक 25.06.2020 को आयोजित 25वीं एनएसक्यूसी बैठक में अनुमोदित हाइड्रोकार्बन एसएससी की दो अर्हताओं की समीक्षा तिथि में संशोधन</u>

29. हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल (एचएसएससी) ने सूचित किया कि दो अर्हता फाइलों जिन्हें 24वीं एनएसक्यूसी बैठक में सशर्त अनुमोदित किया गया था और अंतिम रूप से 25वीं एनएसक्यूसी बैठक में अनुमोदित किया गया था, में अर्हता समीक्षा तिथि गलती से एचएसएससी द्वारा उल्लिखित किया गया था और एक अर्हता एसआईपी पर निष्क्रिय कराई गई थी जिससे मूल्यांकन और चल रहे बैचों के प्रमाणन का मुद्दा प्रभावित हुआ। एचएसएससी ने अनुरोध किया कि दो अर्हता फाइलों की संशोधन तिथि अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष करके उसे सही किया जाए। अगली समीक्षा तिथि को छोड़कर इन अर्हता फाइलों में कोई परिवर्तन नहीं है।

समिति ने अगली समीक्षा तिथियों में अर्हताओं की अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष करके परिवर्तन का अनुमोदन किया। अर्हता का ब्यौरा अनुबंध-V पर रखा है।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

****

Annexure to MoM of 8th NSQC dated 27thMay, 2021

ANNEXURE-I

List of Participants

National Skills Qualifications Committee (NSQC) Members

1. Dr Nirmaljeet Singh Kalsi, Chairperson, NCVET
2. ShPraveen Kumar, Secretary, MSDE
3. Dr NeenaPahuja, Executive Member, NCVET
4. ShAtul Kr. Tiwari , Addl. Secretary , MSDE
5. Ms Neelam Shami Rao, Director General, DGT
6. Sh Arun Kumar Tripathy, Director General, NISE, MNRE
7. Sh Raghvendra Pratap Singh, Director, MoRD
8. ShP P Gupta, Director, Dept of School Education, MoE
9. Sh Vikram Singh, Director, Ministry of Ayush
10. Prof Tanuja Nesari, Director, All India Institute of Ayurveda
11. Mr Biswajit Saha, Director, CBSE
12. Mr B. V. S. Sesha Chari, Director, CSTARI
13. Ms Manju Singh, JS-UGC
14. Mr Rajneesh K Astana, Joint Director (NIELIT), MeITY
15. Mr S K Ganesh, Under Secretary, MoHUA

Sectoral Representatives/Submitting Bodies

1. MrC S Murthy, Joint Director, CSTARI,
2. Dr Pratap, Director, NIELIT, Chennai
3. Mr. R R Singh, Controller, NARUDSETI, MoRD
4. Mr Manoj Agrawal, Senior Manager, A&P, FDDI
5. Ms Deepti Saxena, Head Standards, NSDC
6. Mr Ashish Jain, CEO, Healthcare SSC
7. Mr Arindam Lahiri, ASDC
8. Ms Monica Bahl, CEO, Beauty & Wellness SSC
9. Mr Ravindra Singh, CEO, SCPwD
10. Mr James Raphael, CEO, Retail SSC
11. Mr Tahsin Zahid, CEO, Sports SSC
12. Maj. Gen T K Chadha, COO, Indian Plumbing Sector Skill Council
13. Mr Satyendra Arya, Agriculture SSC
14. Dr Sandhya Chintala, COO, IT-ITES SSC

15. Ms Divya Gupta, IT-ITES, SSC
16. Mr Rajan Bahadur, CEO, THSC
17. Dr Sunita Badwar, Head Standards, THSC
18. Ms GauriKalra, Consultant, Dept. of School Education, MoE
19. Mr S SRana, COO, Hydrocarbon SSC
20. Mr Praveen Saxena, CEO, Green Jobs SSC
21. Ms Shivangini, Senior Consultant, MoHFW
22. Mr Rajeev Garg, CEO, Gems & Jewellery Sector Skill Council
23. Mr Gunjan Pahuja, Head Operations, Indian Plumbing Sector Skill Council

NCVET Officials

1. Col Santosh Kumar, Director, NCVET
2. Lt. Col Gunjan Chowdhary, Director, NCVET
3. Mr Sushil Agarwal, Director, NCVET
4. Ms Sarika Dixit, Consultant, NCVET
5. Mr ShouryaSangam , Consultant, NCVET
6. Ms Tanavi Singh, Consultant, NCVET
7. Mr Lav Bhardwaj, Consultant, NCVET
8. Mr Sourabh Kulparia, Consultant, NCVET
9. Ms Shubhi Mathur, Consultant, NCVET
10. Mr Anuj Gupta, Consultant, NCVET
11. Mr Sumit Kumar, Consultant, NCVET
12. Mr Shuvadeep Ray, Consultant, NCVET

Annexure-II

STATUS OF CONDITIONALLY APPROVED FILES FROM 7TH NSQC

S. No	Submitting Body	No of Files	Name of the Qualification/ Job Role	Compliances
1.	DGT	1	Armour Welder (ATS)	Compliance Completed
2.	CSIR-CLRI	6	Short Term Executive Training Programme on Occupational Health and Safety for Leather and Allied Industries	Compliance Pending
3.			Short Term Executive Training Programme on Testing and Calibration for Leather Sector	Compliance Pending
4.			Short Term Executive Training Programme on Waste Management for Leather Sector	Compliance Pending
5.			Orientation Programme in Leather and Products Manufacture	Compliance Pending
6.			Short Term Executive Skill Development Program in Leather Upholstery Manufacture	Compliance Pending
7.			Short Term Executive Skill Development Programme in Cleaner Leather Production	Compliance Pending
8.	ASDC	1	Automotive Sales Telecaller	Compliance Pending

Submitting Body: Skill Council for Persons with Disability (74 New Qualifications).

Sector: Multi-Sectoral

S. No	Originating Sector	Job Role	NSQF Level	Status of Approval
1.	Food	Pickle Making Technician-PwD LV	4	Compliance Pending
2.		Plant biscuit production specialist-PwD LD	4	Compliance Pending
3.		Plant biscuit production specialist-PwD LV	4	Compliance Pending
4.		Jam Jelly & KetchupProcessingTechnician-PwD LV	4	Compliance Pending
5.	Furniture	Lead Assembler Modular Furniture- PwD SHI	4	Compliance Pending

6.	Textile	Hank Dyer-PwD SHI	3	Compliance Pending
7.		Two shaft Handloom Weaver-PwD SHI	4	Compliance Pending
8.		Warper-PwD SHI	3	Compliance Pending
9.	Construction	Assistant Electrician-PwD LD	3	Compliance Pending
10.		Mason Marble, Granite & Stone-PwD LD	4	Compliance Pending
11.	Healthcare	Diet Assistant-PwD LD	4	Compliance Pending
12.	Handicrafts	Handmade Bamboo Agarbatti Stick Making-PwD LD	3	Compliance Pending

Type of Disabilities:

(i) LD- Locomotors Disability

(ii) LV- Low Vision

(iii) SHI- Speech & Hearing Impairment and

(iv) VI- Visual Impairment

Annexure-III

DETAILS OF COVID SPECIFIC CRASH COURSES IN HEALTHCARE SECTOR

Crash Course 1: **COVID Frontline Worker (Basic Care Support)**

Mapped to General Duty Assistant

S.No	Mapped NOSs	Theory	Practical	Mapped to QP
1	HSS/N5134 Transferring patients and their samples, drugs, documents within the hospital	35	45	GDA
2	HSS/N5135 Provide support in routine activities of in-patient department	30	35	
3	HSS/N5115 Carry out last office (death care)	15	20	
4	HSS/N9622: Follow Sanitization and Infection Control Guidelines	2	4	Bridge
5	Understanding the working of basic equipment (Oxygen Concentrator, Oxygen Cylinder, Nebulizer and Pulse-oximeter)	2	7	Bridge
	Total	84	111	195 hours/ 22 days

Crash Course 2: **COVID Frontline Worker (Home Care Support)**

Mapped to Home Health Aide

S.No	Mapped NOSs	Theory	Practical	Mapped to QP
1	HSS/N5133: Assist patient in bathing, dressing up and grooming	25	25	HHA
2	HSS/N5104: Support individuals to eat and drink	30	25	
3	HSS/N5105: Assist the patient in maintaining normal elimination	20	25	
4	HSS/N5136: Support patients with diverse needs in coping up with their health conditions	15	15	
5	HSS/N9622: Follow Sanitization and Infection Control Guidelines	2	4	Bridge
6	Understanding the working of basic equipment	2	7	Bridge

	(Oxygen Concentrator, Oxygen Cylinder, Nebulizer and Pulse-oximeter)			
	Total	94	101	195 hours/ 22 days

Crash Course 3: **COVID Frontline Worker (Advanced Care Support)**

Mapped to GDA – Advanced (Critical Care)

S.No	Mapped NOSs	Theory	Practical	Mapped to QP
1	HSS/N5130 Assist nurse in performing procedures as instructed in the care plan at critical/Intensive care units	20	30	GDA-Advanced (Critical Care)
2	HSS/N5126 Assist nurse in implementation of nursing care plan	34	45	
3	HSS/N5125 Assist patient in maintaining the activities of daily living	14	15	
4	HSS/N5127 Provide ancillary services for supporting patient care	9	13	
5	HSS/N5115 Carry out last office (death care)	5	10	
6	HSS/N9622: Follow Sanitization and Infection Control Guidelines	2	4	Bridge
7	Understanding the working of basic equipment (Oxygen Concentrator, Oxygen Cylinder, Nebulizer and Pulse-oximeter)	2	7	Bridge
	Total	86	124	210 hours/ 23 days

Crash Course 4: **COVID Frontline Worker (Sample Collection Support)**

Mapped to Phlebotomist

S.No	Mapped NOSs	Theory	Practical	Mapped to QP
1	HSS/N0510 Perform pre-procedural activities of sample collection	35	40	Phlebotomist
2	HSS/N0511 Perform procedural activities of	20	30	

	sample collection			
3	HSS/N0512 Perform post- procedural activities of sample collection	10	25	
4	HSS/N9619 Follow etiquette for site visits	10	35	
5	HSS/N9622: Follow Sanitization and Infection Control Guidelines	2	4	Bridge
	Total	77	134	211 hours/ 24 days

Crash Course 5: **COVID Frontline Worker (Emergency Care Support)**

Mapped to Emergency Medical Technician- Basic

S.No	Mapped NOSs	Theory	Practical	Mapped to QP
1	HSS/ N 2301: Respond to emergency calls	5	5	EMT-B
2	HSS/ N 2302: Size up the scene at the site	4	6	
3	HSS/ N 2304: Assess patient at the site	5	8	
4	HSS/ N 2305: Patient triage based on the defined clinical criteria of severity of illness	4	4	
5	HSS/ N 2306: Manage cardiovascular emergency	13	15	
6	HSS/ N 2307: Manage cerebro vascular emergency	10	15	
7	HSS/ N 2318: Manage Respiratory emergency	10	15	
8	HSS/ N 2322: Transport patient to the provider institute	3	7	
9	HSS/N9622: Follow Sanitization and Infection Control Guidelines	2	4	Bridge
10	Understanding the working of basic equipment (Oxygen Concentrator, Oxygen Cylinder, Nebulizer and Pulse-oximeter)	2	7	Bridge
	Total	58	86	144 hours/ 16 days

Crash Course 6: **COVID Frontline Worker (Medical Equipment Support)** Mapped to Medical Equipment Technology Assistant. The crash course would focus on select medical equipment which is required for COVID management.

Experts have identified the medical equipment as below:-

- Ventilator
- BIPAP & CPAP
- Oxygen Equipment (Concentrator & Cylinder)
- Digital Thermometer (IR)
- Flowmeter
- Humidifier
- Pulse Oximeter
- Multipara Monitor
- Nebulizer
- B P Instrument
- ECH machine

S.No	Mapped NOSs	Theory	Practical	Mapped to QP
1	HSS/N5607: Understanding the working of basic equipment	73	127	META
2	HSS/N5608: Calibration and maintenance of basic equipment	18	88	
3	HSS/N9622: Follow Sanitization and Infection Control Guidelines	2	4	Bridge
	Total	93	219	312 hours/35 days

Annexure-IV (A)

CONSOLIDATED STATEMENT OF APPROVAL STATUS OF QFs IN THE 8th NSQC

CENTRAL MINISTRIES						
S. No	**Name of the Submitting Body**	**New Files**	**Rationalized Files**	**Revised Files**	**Files for NSQC consideration**	**Approval Status**
1	DGT	08	--	--	08	5 Approved and 3 Conditionally Approved
2	NIELIT	--	--	02	02	1 Approved and 1 Conditionally Approved
3	FDDI	--	--	04	04	4 Approved
4	NARUDSETI (MoRD)	01	--	--	01	Not Approved
Sub-Total		**09**	--	**06**	**15**	

SECTOR SKILL COUNCILS						
S. No	**Name of the Submitting Body**	**New Files**	**Rationalized Files**	**Revised Files**	**Files for NSQC consideration**	**Approval Status**
1	Automotive SSC	--	--	04	04	4 Approved
2	Agriculture SSC	--	--	14	14	13 Approved and 1 Not Approved
3	Beauty and Wellness SSC	--	--	03	03	03 Conditionally Approved
4	Gems & Jewellery SSC	03	--	08	11	11 Approved
5	Green Jobs SSC	--	--	19	19	10 Approved and 9 Conditionally Approved
6	IT-ITeS SSC	--	--	11	11	11 Not Approved
7	Plumbing SSC	--	--	02	02	2 Approved
8	Retail SSC	01	--	08	09	1 Conditionally

						Approved and 8 Approved
9	Sports SSC	05	--	--	05	5 Conditionally Approved
10	Tourism SSC	--	--	03	03	1 Approved and 2 Conditionally Approved
Sub-Total		**09**	**--**	**72**	**81**	
Grand Total		**18**	--	**78**	**96**	59 Approved, 24 Conditionally Approved and 13 Not Approved

Annexure-IV (B)

STATUS OF QUALIFICTAION FILES PLACED FOR APPROVAL IN 8TH NSQC

CENTRAL MINISTRIES

Submitting Body: DGT (8 New Qualifications)

SL No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Approval Status
(i)	Pump Operator Cum Mechanic- CITS	6	Approved
(ii)	Information & Communication Technology System Maintenance	5	Conditionally Approved
(iii)	Fibre to Home Technician	4	Conditionally Approved
(iv)	Technician Electronics System Design and Repair	5	Conditionally Approved
(v)	Electrician Power Distribution-CITS	6	Approved
(vi)	Electroplater-CITS	6	Approved
(vii)	Plastic Processing Operator- CITS	6	Approved
(viii)	Health Sanitary Inspector-ATS	4	Approved

SUBMITTING BODY: NIELIT (02 Revised QFs)

S. No	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Approval Status
1	Solar Power Installation, Operation and Maintenance	4	Approved
2	PG Diploma in Embedded Real Time systems	8	Conditionally Approved

SUBMITTING BODY: FDDI (04 Revised QFs)

S. No	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Approval Status
1	Cut Component Passer - Footwear	3	Approved
2	Shoe Upper Passer - Footwear	3	Approved
3	Assistant Supervisor Cutting - Footwear	4	Approved
4	Assistant Supervisor Closing - Footwear	4	Approved

SUBMITTING BODY: NARUDSETI (MoRD) (01 New QF)

S. No	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Approval Status
1	Community Resource Person for Enterprise Promotion (CRP-EP)	5	Not Approved

SECTOR SKILL COUNCILS

SUBMITTING BODY: Automotive SSC (04 Revised QFs)

S. No	Qualification Name	NSQF level	Approval Status
1	Automotive Paint Repair Assistant	3	Approved
2	Automotive Machining Assistant	2	Approved
3	Four Wheeler Service Lead Technician	5	Approved
4	Automotive Automation Specialist	6	Approved

SUBMITTING BODY: Agriculture SSC (14 Revised QFs)

S. No	Qualification Name	NSQF level	Approval Status
1	Power Tiller Operator	4	Approved
2	Irrigation Service Technician	4	Approved
3	Operator-Reaper, Thresher and Crop Residue Machinery	4	Approved
4	Service and Maintenance Technician Farm Machinery	4	Approved
5	Farm Workshop Foreman / Supervisor	5	Approved
6	Agriculture Machinery Repair and Maintenance Service Provider.	5	Approved
7	Custom Hiring Service Provider	5	Approved
8	Pesticide & Fertilizer Applicator	4	Approved
9	Florist	4	Approved
10	Flower Handler-Packaging &Palletising	4	Approved
11	Gardener	4	Approved
12	Interior Landscaper	4	Not Approved
13	Plant Tissue Culture Technician	4	Approved
14	Nursery Worker	3	Approved

SUBMITTING BODY: Beauty and Wellness SSC (03 Revised QFs)

S. No	Qualification Name	NSQF level	Approval Status
1	Yoga Instructor	4	Conditionally Approved
2	Yoga Trainer	5	Conditionally Approved
3	Senior Yoga Trainer	6	Conditionally Approved

SUBMITTING BODY: Gems & Jewellery Skill Council (03 New & 08 Revised QFs)

S. No	Qualification Name	NSQF level	Approval Status
1	Senior Jewellery Designer	5	Approved
2	Senior Jewellery CAD Designer	5	Approved
3	Jewellery Store Floor Supervisor	5	Approved
4	Casting Expert - Imitation Jewellery	3	Approved
5	Solderer - Imitation Jewellery	3	Approved
6	Spot Welder - Imitation Jewellery	3	Approved
7	Stone Fixer - Imitation Jewellery	3	Approved
8	Jewellery Appraiser and Valuer	5	Approved
9	Jewellery Retail Merchandiser	6	Approved
10	Jewellery designer - CAD	4	Approved
11	Jewellery Designer	3	Approved

SUBMITTING BODY: Green Jobs SSC (19 Revised QFs)

S. No	Qualification Name	NSQF level	Approval Status
1	Solar PV Installer (Suryamitra)	4	Approved
2	Solar PV Installer – Electrical	4	Approved
3	Solar PV Installer – Civil	4	Approved
4	Solar Proposal Evaluation Specialist	7	Conditionally Approved
5	Rooftop Solar Grid Engineer	5	Conditionally Approved
6	Solar PV Business Development Executive–Electrical	5	Conditionally Approved
7	Solar PV Structural Design Engineer	5	Conditionally Approved

8	Solar PV Designer	7	Conditionally Approved
9	Solar PV Project Helper	2	Approved
10	Solar PV Engineer (O: Solar water pumping System)	5	Approved
11	Solar PV Project Manager (E&C)	7	Conditionally Approved
12	Solar PV Maintenance Technician-Electrical (Ground Mount)	4	Conditionally Approved
13	Solar PV Manufacturing Technician	4	Conditionally Approved
14	Solar Lighting Technician (Elective: Home Lighting System/ Street Lights)	4	Conditionally Approved
15	Recyclable Waste Collector & Segregator	4	Approved
16	Safai Karamchari (Elective: Wet Cleaning/ Mechanized Cleaning)	3	Approved
17	Waste Picker	3	Approved
18	Wastewater Treatment Plant Technician	4	Approved
19	Wastewater Treatment Plant Helper	3	Approved

SUBMITTING BODY: IT-ITeS SSC (11 Revised QFs)

S. No	Qualification Name	NSQF level	Approval Status	Remarks
1	Analyst Application Security	7	Not Approved	All Qualifications extended till September, 2021, with existing notional hours
2	Analyst Compliance Audit	7	Not Approved	
3	Analyst Endpoint Security	7	Not Approved	
4	Analyst Identity and Access Management	7	Not Approved	
5	Analyst Security Operations Centre	7	Not Approved	
6	Architect Identity and Access Management	8	Not Approved	
7	Consultant Network Security	8	Not Approved	
8	Forensic Specialist	8	Not Approved	
9	Penetration Tester	7	Not Approved	
10	Security Analyst	7	Not Approved	
11	Security Infrastructure Specialist	8	Not Approved	

SUBMITTING BODY: Tourism and Hospitality SSC (03 Revised QFs)

S. No	Qualification Name	NSQF Level	Approval Status
1	Guest House Caretaker	5	Conditionally Approved
2	Food & Beverage Service - Associate	4	Approved
3	Bartender	5	Conditionally Approved

SUBMITTING BODY: Plumbing SSC (02 Revised QFs)

S. No	Qualification Name	NSQF Level	Approval Status
1	Plumber General	4	Approved
2	Assistant Plumber General	3	Approved

SUBMITTING BODY: Retail SSC (1 New, 8 Revised QFs)

S. No	Qualification Name	NSQF Level	Approval Status
1	Sales Supervisor	5	Conditionally Approved
2	Individual Sales Professional	4	Approved
3	Digital Cataloguer	4	Approved
4	Seller Activation Executive	4	Approved
5	Business Builder/Retailer	5	Approved
6	Visual Merchandiser	5	Approved
7	Business Leader/Multi-outlet Retailer	6	Approved
8	Business Enhancer/Multi-channel Retailer	7	Approved
9	Retail Store Manager	7	Approved

SUBMITTING BODY: Sports SSC (5 New QFs)

S. No	Qualification Name	NSQF Level	Approval Status
1	Fitness Centre Head	7	Conditionally Approved
2	Fitness Trainer	4	Conditionally Approved
3	Group Fitness Trainer	5	Conditionally Approved
4	Personal Fitness Trainer	5	Conditionally Approved
5	Strength and Conditioning Coach	6	Conditionally Approved

Annexure-V

CORRECTION IN NEXT REVIEW DATE OF TWO QUALIFICATIONS OF HYDROCARBON SSC APPROVED IN 25TH NSQC (under NSDA) MEETING HELD ON 25.06.2020

S. No	Qualification Title and Code	Next Review Date in existing Qualification File	Revised Next Review Date
1	Process Instrument Operator (Oil & Gas), HYC/Q6201	19.02.2021	24.06.2023
2	Line Patrolling Man (Oil & Gas), HYC/Q6401	21.06.2022	24.06.2023

****